"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च 2005—फाल्गुन 27, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-1-2005 जिसके द्वारा श्री सत्यजीत ठाकुर भा. प्र. से. (यू. पी. 1985) को सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश में संशोधन करते हुये श्री सत्यजीत ठाकुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रमायुक्त तथा पदेन सचिव, श्रम विभाग पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. श्री बी. पी. एस. नेताम, भा. प्र. से. (1996) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2005

फा. क्र. 1669/डी-528/21-ब/छ.ग./05.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 1983) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 1 मार्च, 2005 से छत्तीसगढ़ राज्य माध्यस्थम अधिकरण का गठन करता है, जिसका मुख्यालय रायपुर होगा.

Raipur, the 1st March 2005

F. No. 1669/D-528/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Madhyashtam Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government hereby constitute and Arbitration Tribunal with its Headquarter at Raipur w.e.f. 1st March, 2005.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1683/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	कोलिहापुरी प. ह. नं. 18	2.21	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पिसेगांव उद्वहन सिंचाई

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1686/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	डंगनिया प. ह. नं. 6	2.94	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	टेंगना नाला व्यपवर्तन की डूबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1689/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	सिरनाभाठा प. ह. नं. 6	0.66	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	टेंगना नाला व्यपवर्तन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1692/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	दारगांव प. ह. नं. 31	0.47	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, सेतु निर्माण रायपुर संभाग.	शिवनाथ पुल एवं पहुंच मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1695/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	गाडाडीह प. ह. नं. 21	3.29	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला-दुर्ग.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1701/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	पीसेगांव प. ह. नं. 18	1.96	कार्यपालन यंत्री, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	पीसेगांव उद्वहन सिचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1704/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पेन्ड्री प. ह. नं. 5	0.30	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, रायपुर.	शिवनाथ नदी पुल एवं पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1707/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	उरला प. ह. नं. 17	1.661	कार्यपालन यंत्री, तान्दुला जल संसाधन, दुर्ग.	उद्वहन सिंचाई योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1744/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोटवानी प. ह. नं. 15	5.87	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के मुख्य नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1741/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	घोठा प. ह. नं. 13	1.11	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन में नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1747/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	भाठाकोकड़ी प. ह. नं. 15	1.16	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन की नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1750/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	राजपुर प. ह. नं. 3	4.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	राजपुर जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1753/ले. पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खैरझिटी प. ह. नं. 15	6.87	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर मोतीनाला व्यपवर्तन के नहर में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 89/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जैजैपुर प. ह. नं.14	0.743	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	महुआडीह सब माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 143/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भडोरा प. ह. नं. 14	0.476	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	भडोरा माइनर I

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 268/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बन्दोरा प. ह. नं. 08	0.189	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	चरौदी सब माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 269/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प. ह. नं. 07	0.290	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	करिगांव माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 270/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प. ह. नं. 6	0.263	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो क्र. 4, डभरा.	करिगांव ब्रांच माइनर 2-

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 271/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बुन्देली प. ह. नं. 08	0.318	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो परि. नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	कटारी माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 277/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बुन्देली प. ह. नं. 08	0.133	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता	कटारी माइनर I

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 679/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	चोरभट्ठी प. ह. नं. 15	1.771	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	मुक्ता उप वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

प्रकरण क्रमांक 691/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हरदीडीह प. ह. नं. 20	0.461	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	कंचदा उप वितरक नहर माइनर- 2 R

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन. —चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बोडसरा प. ह. नं. 13	0.492	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	कंचदा उप वितरक नहर माइनर- 2 R.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2004

क्रमांक 8738/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	[illegible]	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	टेकनार	6.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा.	कारली, भैरमबंद एवं आंवरा-भाटा माइनर निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6855/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	भोपालपटनम	गोटाईगुड़ा	0.69	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2004

क्रमांक 6856/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	भोपालपटनम	भद्राकाली	1.39	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, जगदलपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-202 के निर्माण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9098/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	गुमियापाल	0.35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा.	कॉरीडोर मार्ग निर्माण ग्राम-गुमियापाल.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 17 दिसम्बर 2004

क्रमांक 9099/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	जावंगा	3.01	मेजर/कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, 108 आर. सीसी केम्प, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 16 क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ग्राम-जावंगा.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

क्रमांक 10066/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	कारली	2.53	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक प्रो. केम्प कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

क्रमांक 10069/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	बड़ेसुरोखी	1.25	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परि. केम्प कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

क्रमांक 10070/क/भू-अर्जन/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा.	दंतेवाड़ा	बांगापाल	1.27	मेजर/कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, केम्प कारली (गीदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2004

क्रमांक 10073/क/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-(अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर	दंतेवाड़ा	बड़ेतुमनार	3.68	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा, सड़क संगठन, कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौडी-करण एवं सुदृढ़ाकरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 358/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-तिलईकुड़ा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.11
82	0.10
83	0.02
94	0.62
95/2	0.01
84/2	0.09
86/1	0.13
85/2	0.13
110	0.01
109/3	0.01
72	0.04
142	0.03
141	0.07
140	0.06
132/3	0.01
137/3	0.01

(1)	(2)
133	0.11
134/1	0.03
134/2	0.13
137/1	0.04
योग	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के अंतर्गत तिलईकुड़ा माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

क्रमांक 666/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-चंगोरी, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/2	0.01
373	0.08
382	0.08
योग	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अंजोरा-चंगोरी मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004

क्रमांक 675/अ-82/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-पथरिया, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
02	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक 275/क/47/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-कछारडीह, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.06
	0.01
84	0.21
109	0.05
113	0.07
114	0.09
	0.01
116	0.04
117/3	0.08
128	0.06
129/3	0.16
	0.03
	0.01
177	0.06
173	0.08
178	0.06
	0.02
173	0.09
178	0.07
182	0.01
179	0.07
	0.03
	0.04
215	0.03
	0.01
183	0.07
	0.04
	0.03
191/1	0.12
192	0.02
364/626	0.01
264/626	0.02
	0.01
	0.01
191/1	0.10
220	0.15
232/2	0.03
	0.02
232/3	0.11
	0.02
232/3	0.10
	0.02
	0.01
175	0.04
176	0.02
200/2	0.03
	0.01
	0.01
योग 30	2.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कछार-डीह जलाशय के बायीं पट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 318/क/07/अ/82/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-धरमपुर, प. ह. नं. 116
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
432	0.01
418	0.02
419	0.06
420	0.02
427/2	0.03
425	0.01
411	0.20
426/1	0.12
387	0.08
70	0.04
72	0.09
69	0.03
59	0.02
35	0.05
34	0.02
24	0.20
योग 16	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-धरमपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 अगस्त 2004

क्रमांक 334/अ.वि.अ./भू-अर्जन/22-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
06	1.38
113	0.10
7/1	0.34
02	0.14
76	0.41
19	0.36
20	0.30
69	0.30
136	0.09
144	0.08
21	0.53
68	0.34
70	0.43
305	0.30
72	0.25
105	0.30
106	0.19
112	0.46
298	0.05
138	0.05
143	0.13
114	0.08
140	0.17
135	0.19
139	0.05
67/30	0.56
137	0.05
142	0.11
145	0.08
49/5	0.08
49/3, 51/2	0.49
28/3	1.14
4/1	0.16
51/1	0.21
14/2 ख	0.10
5	0.16
6	0.02
योग	10.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 358/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रावन, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1352	0.63
	1343	0.20
	1344	0.21
योग	3	1.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 359/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बनियातोरा, प. ह. नं. 113/60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
249	0.02
250	0.16
278	0.06
261	0.03
262	0.06
263	0.06
264	0.01
265	0.19
271	0.03
281	0.12
272	0.01
96	0.48
273	0.14
279	0.01
136	0.01
283	0.06
04	0.03
293	0.01
284	0.01
03	0.05
97	0.02
292/1	0.02
286	0.03
2/1	0.04
287	0.03
144	0.05
143	0.03
142	0.02
138	0.08
43	0.06
2/2	0.04

(1)	(2)
270	0.07
277	0.02
139	0.01
130	0.01
योग 35	2.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 360/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-राटापाली, प. ह. नं. 112/59
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
414	0.07
416	0.04
402	0.01
108	0.02
413	0.02
415	0.06
409	0.02
418	0.01
424	0.06
410	0.01
422	0.03
70	0.01
72	0.03
417	0.05
423	0.09
425	0.05
66	0.05
426	0.01
325	0.22
112	0.06
111	0.03
110	0.09
51	0.03
106	0.01
107	0.01
52	0.05
79	0.03
126	0.03
74	0.01
30	0.05
69	0.05
37	0.22
67	0.02
50	0.01
60	0.04
59	0.06
58	0.07
71	0.02
73	0.02
योग 39	1.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004

क्रमांक 362/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13-अ/82 सन् 2003-04.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-पण्डरीपानी, प. ह. नं. 113/60

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
माइनर नं.-4	
459	0.13
635	0.07
634	0.18
629	0.11
456	0.01
माइनर नं.-5	
141	0.19
152	0.13
149	0.01
151	0.09
153	0.06
योग 10	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 एवं 5 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 452/भू-अर्जन/अ.वि.अ./51-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-नांदगांव, प. ह. नं. 144

(घ) लगभग क्षेत्रफल-48.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2998	0.30
2638	0.02
2644	0.02
2646/1	0.07
3030	0.27
2854	0.08
2943	0.08
2939	0.09
2840	0.05
3022	0.18
3025	0.04
2813	0.04
2848	0.17
2657	0.24
2824	0.05
2830	0.09
2821	0.07
2823	0.11
2941	0.04
2845	0.13
2861	0.18
2805	0.07
3114	0.14

(1)	(2)
3021	0.07
2851	0.29
2852	0.08
2938	0.16
2859	0.12
2808	0.06
2807	0.05
2844	0.09
2855	0.10
2634	0.10
2997/2	0.17
2836	0.22
2806	0.08
2627	0.05
2629	0.05
2800	0.07
2812	0.07
2839	0.10
2838	0.04
3113	0.20
3117	0.69
2817	0.04
2942	0.04
2997/1	0.18
2815	0.05
2841	0.08
2842	0.03
2846	0.11
3024	0.05
2940	0.27
3000	0.25
3026	0.04
3031	0.08
2860	0.03
2802	0.02
3023	0.05
2822	0.13
2809	0.07
2814	0.04
2816	0.25
2849	0.13
2864	0.06
2801	0.03
2829	0.07
3027	0.27
2826	0.02
2825	0.06
2828	0.26
2837	0.04
2856	0.14
2652	0.03
2831	0.09
2850	0.34
2811	0.09
2815	0.13
2857	0.12
2858	0.16
2843	0.13
2803	0.04
2645	0.05
2653	0.05
2804	0.09
2847	0.02
2818	0.18
2606	0.40
2628	0.15
2630	0.15
2651	0.03
2646/2	0.01
2999	0.12
3111	0.40
	0.19
3116	0.21
2827	0.05
2834	0.12
2853	0.08
2631	0.07
3010	0.29
3011	0.12
151	4.55
2637	2.00
2789	1361
2820	0.10
2785	0.59
2786	6.63
2	7.78

	(1)	(2)
	146	1.00
योग	109	48.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 दिसम्बर 2004

क्रमांक 453/भू-अर्जन/अ.वि.अ./50-अ/82 सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मुढेना, प. ह. नं. 144
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	541	0.07
	556	0.11
	542	0.28
	667	0.25
	557	0.08
	553	0.03
	554	0.03
	570	0.08
	571	0.18
	572	0.22
	658	0.12
	668/1	0.18
	543	0.20
	555	0.04
	569	0.04
	657	0.15
	659	0.04
	680	2.77
	681	0.20
योग	19	5.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन योजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/03-04/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-कोंडागांव
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेडोंगर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.223 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/2	0.324
179/3	0.381
179/4	0.243
179/5	0.567
180/1	0.178
180/2	0.174
180/3	0.178
180/4	0.178
योग 8	2.223

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बड़े-डोंगर जलाशय क्रमांक-2 की अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कालाखूंटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.515 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65	0.062
159	0.062
164	0.002
126	0.141
204, 212/1	0.076
66/1	0.048
69	0.024
71	0.022
147	0.109
162	0.002
204, 212/2	0.076
70	0.036
154/2	0.022
203, 220/1	0.196
72	0.056
127, 128	0.044
216, 217/1	0.044
217, 218/2	0.068
131/3	0.056
122	0.064
144	0.056
168, 169	0.076
123	0.036
145/1	0.044
149	0.020
154/1	0.044
161/1	0.002
163/2	0.002
124	0.005
योग	1.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कालाखूंटा जलाशय निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-केरमेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.189 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39/1, 40/1, 41/2 क, 42/2 क	0.198
56/2	0.061
56/2 क	0.174
39/1, 40/1, 41/2 क, 42/2 क	0.138
39/2, 40/2, 41/2 ख, 42/2 ख	0.344
65/2 ख	0.045
41/1	0.198
42/1	0.150
65/3	0.202
56/1	0.121
66	0.194
67/1 क	0.142
67/1 ख	0.142
43/1	0.080
योग 14	2.189

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कालाखूंटा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 04/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13869.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.171 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
119	0.283
120	0.728
121/1	0.04
161/1, 165/1, 166/1	0.060
161/3, 165/3, 166/3	0.030
161/2, 165/2, 166/2	0.030
योग	1.171

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 05/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13870.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-रिस्दी, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.737 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.049
309/1	0.089
309/2	0.089
470, 482/1 ञ	0.016
471/2	0.081
471/3	0.081
475/1	0.170
476/4	0.020
476/5	0.020
476/11 क, 477/6, 482/1 ख	0.081
476/3	0.040
476/7	0.040
479, 480, 481, 482/1 ङ	0.222
384	0.020
385	0.109
484/1, 485/1	0.162
484/2, 485/2	0.182
486/1	0.020
493	0.049
494/2	0.049
502/1	0.061
502/5	0.020
503/1, 510	0.030
386/1, 388, 495/2, 496, 497, 500, 501/1, 502/3	0.111
347/2	0.053
347/4	0.053
352/3	0.049
357/1, 358/1, 360/1, 379/1, 382/1, 383/1	0.227
378/1	0.087
380/2	0.085
361, 373, 374, 375, 376, 377	0.283
371	0.020
372	0.020
476/10, 477/5, 482/1 ट	0.049
योग	2.737

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 07/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13871.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-झगरहा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.789 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
46/3	0.049

(1)	(2)
7	0.049
5/1	0.162
33/2	0.218
14/7	0.049
14/8	0.069
30/2	0.198
42/7	0.137
30/1	0.377
49/2	0.450
30/14, 30/15	0.097
42/9	0.117
13/5	0.012
14/2	0.251
14/3	0.012
50, 67/1	0.142
34/26	0.198
42/8	0.008
34/22	0.170
39/1	0.599
40	0.425
योग -	3.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 03/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13872.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-भुलसीडीह, प.ह.नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/1	0.077
57	0.146
29/3	0.061
11/2	0.113
8/2	0.113
242	0.170
9	0.162
8/3	0.138
8/1	0.121
111/1	0.186
22/1	0.040
22/2	0.053
194/1	0.190
29	0.202
126	0.105
196/2	0.170
13/1	0.146
योग 17	2.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 02/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13873.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-नकटीखार, प.ह.नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.513 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139/2	0.150
141/1	0.032
148	0.097
149/2	0.105
163/1 क	0.186
218	0.024
190	0.113
235/1, 235/2, 236/1, 237/1, 238/1	0.142
240/2	0.154
243/4	0.142
240/3	0.028
243/1	0.170
247/2	0.101
287/4	0.239
248/1	0.045
248/2	0.028
251	0.227
254	0.081
287/1 क	0.121
311/2	0.008
321/1	0.065
400/6	0.020
159	0.061
311/1 ख	0.016
277/2	0.158
योग	2.513

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 06/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13874.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कोरबा
   (ख) तहसील-कोरबा
   (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी, प.ह.नं. 05
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.523 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1 ख	0.138
43/3	0.045
43/7, 8, 9	0.020
67/1	0.024
63/1	0.061
63/2	0.049
63/3	0.073
74/3	0.016
76/1 ग, 77/3	0.097
योग	0.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ पाईप लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 08/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13875.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कोरबा
   (ख) तहसील-कोरबा
   (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी, प.ह.नं. 05
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-33.680 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
78/1	0.198

(1)	(2)
106/1	0.012
80	0.348
79/3	0.526
82	0.858
83/1	0.785
84/1	0.077
84/3	0.162
84/2	0.081
85	0.020
86/1	0.146
100/2	0.057
101/5	0.093
102	0.162
101/2	0.154
101/8	0.073
86/2	0.170
87/2	0.073
90	0.219
95/2	0.664
91/1	0.097
108/1	0.121
91/2	0.115
87/1	0.089
89/2	0.040
91/3	0.115
108/2	0.121
88/1	0.113
89/1	0.032
93/1	0.073
93/2	0.065
93/4	0.061
93/6	0.065
127/2, 128/2	0.174
95/1	0.121
96/1	0.324
98/1 ख	0.097
95/3	0.170
95/4	0.154
98/2	0.202
96/2	0.405
97	1.197
98/1 क	0.024
101/1	0.454

(1)	(2)
125/1	0.089
125/2	0.121
125/4	0.129
101/3	0.105
101/4, 101/6, 101/7, 101/9, 101/10, 101/11, 122	2.342
103	0.344
76/7	0.283
78/2	0.049
106/2	0.008
109/1	0.162
109/2	0.486
111	0.789
110/1	0.028
112/1	0.081
86/6	0.105
99/1	0.591
100/1	0.089
110/2	0.194
112/2	0.077
113	0.380
114	0.202
115/1	1.044
115/2	0.040
115/3	0.004
117/4	0.526
116/2	0.121
124/1, 124/2, 126/1, 209/1, 209/2, 209/4, 211/2, 213/1, 218/1,	0.202
116/1	0.121
117/5	0.081
117/6	0.202
117/7	0.004
121/2	0.324
410/3	0.384
416/3	0.275
124/3, 126/2, 209/6, 211/3, 213/3, 218/2	0.318
117/1 क	0.142
117/1 ख	0.162
117/1 ग	0.081
117/3	0.020

(1)	(2)
117/2	0.020
117/8	0.004
117/9	0.012
121/1	2.347
123	0.938
213/2	0.032
214	0.162
125/3	0.113
129/3	0.121
125/6	0.113
129/1	0.049
129/2	0.093
130	0.251
134/2	0.308
147/2	0.016
131/1	0.299
131/2	0.380
132	0.283
133	0.101
134/1	0.652
135	0.040
134/3	0.299
211/1	0.142
212/1	0.097
212/2	0.243
146	0.182
147/1	0.016
148	0.097
83/2	0.809
76/8	0.202
77/4	0.203
76/1 ग, 77/3	0.283
86/3	0.040
86/4	0.138
86/5	0.129
99/2	0.486
94	0.202
88/2	0.113
93/3	0.170
93/5	0.065
127/3, 128/3	0.129
127/1, 128/1	0.202
93/1	0.073
125/5	0.138
409	0.283
413	0.109
416/1	0.121
416/6	0.016
416/7	0.057
416/8	0.057
410/1	0.283
416/9	0117
410/2	0.142
414	0.142
415	0.235
416/5	0.113
411/1	0.304
411/2	0.259
411/3	0.121
412	0.376
416/2	0.109
416/4	0.032
योग	33.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 नवंबर 2004

प्र. क्र. 01/अ-82/03-04/भू-अर्जन/13876.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी, प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-86.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)	(1)	(2)
298	0.202	348	0.065
297	0.219	353/3	0.138
299/1	1.177	356	0.579
299/2	0.405	357/1	0.057
290/1	1.893	365	0.012
292	0.486	399/2	0.016
294	0.364	405	0.105
252	0.717	406	0.121
422	0.081	407	0.121
308/2	0.486	408/1	0.081
260/2	0.227	394	0.129
261/1	0.186	413	0.081
290/2	0.077	219	0.008
307/1	0.036	415/1	0.340
290/4	0.016	400	0.073
307/3	0.101	423	0.045
86	0.271	401	0.040
87	0.154	424	0.057
290/3	0.049	425	0.178
307/2	0.032	427	0.089
463	0.081	428	0.146
219	0.008	205/2	0.049
301	0.073	206/2	0.032
306/2	0.170	207	0.178
306/3	0.073	336	0.607
306/4	0.304	228/1	0.154
306/5	0.113	228/2	0.016
306/6	0.202	203	0.065
306/7	0.405	393	0.089
300	0.040	391	0.202
322	0.097	91/2 ख	0.089
323	0.053	334/1	0.057
324	0.081	430/4	0.089
326	0.073	432/5	0.057
204/2	0.069	97/4	0.198
340	0.202	96/5	0.134
341	0.178	209	0.008
342	0.121	217	0.077
344	0.162	196/2	0.020
346	0.065	195/3	0.073
347	0.081	216/6	0.081
		212/2	0.020
		91/1 क	0.097

(1)	(2)	(1)	(2)
91/2 क	0.061	433/2	0.344
302	0.057	433/3	0.607
206/1	0.283	420	0.073
304	0.045	421	0.364
325	0.032	419/2	0.174
462	0.121	397/1 ख	0.121
201/2	0.016	395	0.995
328/3.	0.040	397/1 क	0.121
404	0.113	398	0.664
343	0.162	414/1	0.360
402	0.073	414/2	0.142
349	0.057	233	0.016
437	0.299	234/1	0.073
366	0.032	235/2	0.283
230	0.032	245/2	0.065
392	0.081	248	0.020
411	0.121	246/1	0.081
431/2	0.049	250/2	0.146
96/4	0.049	254/2	0.024
96/3	0.125	251/1	0.040
429/2	0.081	214/2	0.405
199/3	0.121	214/3	0.040
216/5	0.219	399/4	0.097
459	0.109	399/5	0.081
195/2	0.053	221	0.202
97/11	0.065	222	0.534
220/4	0.040	224/2	0.243
430/3	0.121	261/2	0.129
432/2	0.129	262/3	0.008
216/1	0.190	457/4	0.890
199/2	0.142	464	0.729
91/2 ग	0.032	223	0.049
91/1 ख	0.097	210	0.283
91/3	0.016	104/2	0.809
97/1	0.093	106/2	0.267
201/1 ग	0.150	185	0.162
369/2	0.688	186	0.008
375/2	0.502	188	0.121
374	0.113	187	0.255
396	0.393	274	0.401
397/2	0.178	457/3	0.291
375/1	0.405	457/2	0.429
273	0.372	452/2	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
453	0.032	265/3	0.065
454	0.623	294/4	0.113
455	0.121	249/6	0.089
227/1	0.397	269	0.219
227/2	0.194	262/1	0.097
227/3	0.194	263/2	0.040
231/2	0.121	264/2	0.049
430/2	0.093	263/3	0.065
196/3	0.020	264/1	0.032
197/2	0.077	264/3	0.036
232/1	0.223	249/5	0.142
231/1	0.121	308/1	0.692
409/1	0.105	255	0.065
409/3	0.259	263/1	0.040
416	0.049	275	0.413
409/2 क	0.117	314/2	0.049
412	0.081	315	0.283
409/2 ख	0.206	319	0.061
410	0.709	276	0.263
434/1	0.057	277	0.356
452/1	1.388	270	0.182
419/1	0.162	271	0.170
432/1	0.057	434/2	0.016
199/4, 456/1	0.008	458	0.162
97/2	0.372	213/1	0.959
237/2	0.040	415/2	0.129
102/2	0.388	272	0.478
179	0.243	260/3	0.097
180	0.146	242/1	0.283
181	0.243	238/1	0.049
182	0.073	238/2	0.121
183	0.951	243/1	0.121
189	0.061	260/1	0.097
190	0.101	260/4	0.121
191	0.397	235/3	0.081
194/2	0.016	235/1	0.162
194/3	0.004	238/3	0.121
194/4	0.040	240/2	0.040
460	0.020	242/5	0.198
98	0.356	243/5	0.061
99	1.672	244/2	0.077
100	0.243	245/3	0.008
184	0.138	260/7	0.109
106/1	0.405		
236	0.020		
265/2	0.061		

(1)	(2)
260/8	0.121
246/3	0.016
250/4	0.117
254/1	0.081
251/3	0.020
235/7	0.121
242/3	0.174
243/2	0.101
240/1	0.065
243/3	0.081
235/5	0.190
235/4	0.138
250/1	0.061
251/2	0.060
260/5	0.206
242/4	0.198
243/4	0.243
246/2	0.016
250/3	0.040
245/1	0.162
244/1	0.008
260/6	0.235
234/2	0.049
235/6	0.146
247	0.445
249/1	0.081
249/2	0.219
249/3	0.049
268	0.081
256	0.162
202	0.324
102/1	1.214
200/2	0.170
201/1 ख	0.121
200/3	0.231
211	0.061
435/1	0.154
436	0.388
418	0.406
435/2	0.243
208	0.380
457/1	0.632
477	0.057
97/5	0.105
97/3	0.061
96/2	0.049
478	0.057
267	0.454
193	0.388
194/1	0.117
317/4	0.121
195/1	0.121

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.016
199/11	0.008
97/13	0.040
97/8	0.097
220/6	0.040
429/4	0.202
216/11	0.190
333/1	0.097
333/2	0.032
334/2	0.045
262/2	0.040
91/5	0.016
199/8	0.057
199/10	0.097
456/3	0.008
216/9	0.040
218/2	0.109
218/3	0.081
220/3	0.162
265/1	0.142
431/1	0.445
426	0.186
212/1	0.547
350	0.162
351/1	0.073
351/2	0.121
352/1	0.182
345	0.049
352/2	0.097
353/1	0.036
357/2	0.032
358	0.032
363	0.392
364	0.081
369/1	1.153
359	0.032
361	0.255
354	0.162
355/1	0.166
212/3	0.065
197/1	0.028
199/5	0.097

(1)	(2)	(1)	(2)
195/4	0.069	312	0.320
216/7	0.081	313/2	0.405
429/3	0.138	177	0.206
199/7	0.049	178	0.607
362	0.210	313/1	0.591
408/2	0.405	328/2	0.040
417	0.073	313/3	0.627
353/2	0.117	335/1	0.081
355/2	0.117	335/9	0.040
368	0.016	399/1	0.255
314/1	0.049	224/1	0.113
320/1	0.259	225	0.105
316/1	0.069	226/2	0.008
317/1	0.040	258	0.012
370/2	0.101	259	0.008
316/2	0.069	257	0.024
317/2	0.040	335/2	0.073
317/5	0.121	335/3	0.101
318	0.049	335/5	0.024
370/1 क	0.206	335/6	0.077
371	0.057	335/8	0.400
372	0.012	399/3	0.364
320/2	0.441	192	0.745
321/1	0.178	335/4	0.073
321/3	0.057	335/7	0.154
317/3	0.081	279/1	0.227
357/3	0.024	337	0.202
360	0.089	220/5	0.040
331	0.020	429/1	0.202
332/1	0.324	432/3	0.053
338	0.024	97/16	0.032
339	0.089	200/1	0.093
329	0.032	201/1 क	0.053
403	0.138	212/4	0.045
303	0.065	216/4	0.032
330	0.077	216/8	0.178
367	0.024	91/4	0.016
204/1	0.069	97/7	0.081
205/1	0.049	97/12	0.024
305	0.073	213/2	0.178
306/1	0.522	333/3	0.186
229	0.049	334/3	0.045
328/1	0.324	97/9	0.081
309	1.148	220/7	0.040
310	0.121		
327	0.024		
311	0.280		

(1)	(2)
431/3	0.129
432/4	0.049
216/10	0.040
91/6	0.016
97/14	0.061
196/1	0.040
199/1	0.101
199/9	0.057
295	0.283
216/2, 216/3	0.053
334/4	0.049
333/4	0.186
97/6	0.101
220/8	0.040
97/10	0.113
213/3	0.175
430/1	0.239
97/15	0.061
91/7	0.016
433/9	0.146
433/10	0.146
433/11	0.146
433/12	0.146
433/4	0.146
433/1, 433/5, 433/6 433/7, 433/8	0.081
218/1	0.012
220/1, 220/2	0.008
242/2	0.809
237/1	0.081
261/3	0.129
266	0.202
332/2	0.162
370/1 ख	0.243
456/2	0.004
253	0.020
434/4	0.821
434/5	0.393
199/6	0.049
214/1	0.202
215	0.049
232/2	0.223
योग 400	86.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 × 250 मेगावाट हेतु राखड़ बांध का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 सितम्बर 2003

क्रमांक 1246/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोहराकोट, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.660 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
454/1	0.053
422, 423	0.045
427/1	0.049
458/1	0.057
199/1	0.065
428	0.049
426	0.045
427/2	0.036
429/2	0.024
443	0.040
440/2	0.024
439/3	0.061
387/1	0.020
439/7	0.024
440/1	0.073
441	0.045
383/1	0.053
384/3	0.069
386/1	0.036
386/4	0.040
386/2	0.093
186	0.024
187	0.073

(1)		(2)
	188/1	0.065
	196/1	0.040
	198	0.129
	199/3	0.061
	199/2	0.081
	200/2	0.028
	200/1, 247	0.024
	429/1	0.134
योग	31	1.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोहराकोट माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 20
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	388/1	0.10
	388/2	0.11
	388/3	0.01
	382	0.05
	381/2	0.25
	381/1	0.01
	380/2	0.09
	380/1	0.08
	375/2	0.11
योग		0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर माइनर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 21
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 एकड

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1/2	0.24
योग		0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
46/3	0.07
47/1	0.13
46/7	0.11
267/2	0.06
269	0.07
270	0.10
265/1	0.15
259	0.06
260/3	0.05
319/1	0.03
260/1	0.07
320/2	0.02
318/1	0.03
303	0.02
317/1	0.04
317/2	0.04
342/3	0.20
341/4	0.06
335/1	0.05
335/2	0.04
334	0.10
328/2	0.20
योग	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैसामुहान माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-राधापुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
443/3	0.07
443/1	0.12
478/3	0.16
481/1	0.15
443/4	0.12
483	0.08
484	0.31
438/11	0.12
438/10	0.12
96/5	0.11
96/3	0.15
96/1	0.08
96/2	0.06
97	0.09
98	0.11
99/1	0.12
101/4	0.08
482	0.13
438/2	0.02
योग	2.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर से राधापुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
654/1	0.06
649/2	0.09
648/2	0.02
648/1	0.17
647/7	0.01
647/1	0.23
661/2	0.10
681	0.21
663/1	0.05
663/2	0.05
678/2	0.06
677/1	0.05
677/2	0.05
737	0.07
638/2	0.07
751/1	0.05
752	0.05
753/3	0.07
765	0.15
782/2	0.11
758/1	0.05
759/2	0.04
759/3	0.04
678/1	0.01
योग	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरसी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोविंदपुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
500/5	0.08
500/6	0.08
500/1	0.14
419/4	0.03
419/5	0.10
503	0.06
508	0.28
509/1	0.01
510/1	0.11
510/3	0.06

(1)	(2)
511	0.18
योग	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविंदपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्डरूवा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1389/2	0.18
1389/1 ख	0.18
1464	0.13 1/2
1465/3	0.02
1466/1	0.11
1470	0.06
1471	0.01 1/2
1472/2	0.02
1478/1	0.09
1478/2	0.23
1478/3	0.13
1483/2	0.15
1481	0.12
1468/1	0.11
1482/2	0.18
योग	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर वितरक नहर में सहसपुरी माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
263	0.11
262, 132	0.18
143, 150	0.11
241, 242	0.19
911/2	0.03
912	0.15
230/1	0.13
133/1-2	0.08
147/1-3	0.04
147/2	0.02
148/1	0.09
113/1	0.16

(1)	(2)
204/908	0.05
228	0.03
227	0.03
114/2	0.12
226	0.05
217/1, 217/2, 204	0.29
200, 201	0.08
197/2	0.12
198	0.03
197/1	0.14
196	0.12
195/3	0.01
131	0.10
134/1	0.05
134/2	0.05
157/1	0.07
157/910	0.05
158	0.07
151/2	0.12
159	0.08
113/2	0.09
205/1	0.03
योग	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नवापारा (म) माइनर क्रमांक 1 की निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 जून 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2003/395/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1/2	0.52
योग	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुंदरूझांझ माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 जून 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2003/397/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
14/14, 15/14	0.11
14/9, 15/9	0.13
14/13, 15/13	0.06
14/11, 15/11	0.09

(1)	(2)
14/12, 15/12	0.07
14/7, 15/7	0.09
14/6, 15/6	0.07
14/16, 15/16	0.05
14/8, 15/8	0.09
योग 9	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविंदपुर के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/522सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सकराली, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.596 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.380
31/2	0.121
33/1	0.210
45	0.170
57/1	0.032
58/1	0.223
87	0.004
71/1	0.089
84	0.170
88/1	0.028
86	0.004
85	0.121
72	0.028
184/3	0.020
83/2	0.040
185/3	0.085
184/1	0.004
186	0.004
187	0.130
184/2	0.020
256/1	0.008
1305/1	0.032
1328	0.121
1316	0.016
1317/1	0.004
1320	0.138
1321	0.073
1326	0.069
2189/2	0.073
1298	0.028
1297	0.065
1296	0.016
1295	0.036
1292/4	0.057
1274/2	0.040
1290/2	0.061
1290/1	0.032
1284/3	0.008
1291	0.077
647/1	0.036
647/2	0.243
633	0.049
631/2	0.105
631/1	0.053
630/2	0.008
570	0.008
567	0.040

(1)	(2)
569	0.085
568	0.040
564/2	0.146
564/1	0.053
563/1	0.101
560, 561	0.089
735/6	0.049
735/1	0.069
736/4	0.077
736/3	0.065
737/1	0.053
722	0.049
720/1	0.049
720	0.069
738/3	0.024
702	0.065
702	0.045
703/1	0.053
84	0.012
83/2	0.036
191/1, 192	0.040
189/1	0.028
193/2	0.040
199	0.085
198	0.016
200/1	0.004
201/2	0.113
202/1	0.082
257/1, 257/2	0.134
256	0.040
256/5	0.078
256/4	0.073
289	0.053
292/3	0.004
288	0.089
297/2	0.093
1327, 1329, 1330, 1331,1383,	0.170
1397, 1408/1 क	0.057
1392	0.020
1408/1 ख	0.048
1396/2 क	0.020
1396/3	0.045
1396/1	0.053
1408/3 ग	0.012
563/1	0.016
563/2	0.045
557/1	0.008
556	0.040
576/3	0.016
576/2	0.062
578	0.020
587/1	0.057
565/6	0.008
542/3	0.109
586	0.138
543/1	0.008
544/1	0.028
543/2	0.036
योग	6.596

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली वितरक नहर एवं सकराली माइनर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/524/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-मेढ़ापाली, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
125/3	0.020
125/4	0.024
161	0.032
158/2	0.049
153	0.53
152/1	0.040
152/4	0.049
175/2	0.073
175/1	0.020
176/2	0.008
176/1	0.073
176/3	0.012
186/2	0.012
185/1	0.028
184/2	0.077
184/1	0.004
181/2	0.061
181/3	0.004
181/4	0.004
179/2	0.020
178/1, 178/2	0.065
260/5	0.036
251/1	0.057
253/1	0.008
253/2	0.012
353/3	0.024
योग 26	0.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/527/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-चूराघाठा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.575 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
393	0.076
394/2, 394/3	0.097
394/1	0.045
394/4	0.040
398	0.036
397/2	0.045
396/3	0.081
414/2	0.008
396/4	0.097
396/10	0.012
415/1	0.036
योग 11	0.575

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली वितरक नहर के चूराघाठा माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/529/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-चूराघाठा, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.975 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
248	0.340
389	0.125
390	0.247
387/1	0.186
374/2	0.073
371/1	0.061
375	0.008
373/2	0.073
374/3	0.061
20/1	0.130
24/2	0.125
59/1	0.008
58	0.117
57	0.089
248	0.275
249/3	0.065
250/6	0.004
250/3	0.076
257/3	0.231
257/4, 257/5	0.227
276/3, 298/2	0.065
276/1, 298/1	0.117
268	0.020
299/3	0.125
304/3	0.012
304/4	0.040
296/2	0.016
303	0.057
योग 28	2.975

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली वितरक नहर एवं चूराघाठा माइनर क्रमांक 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/531/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-डभरा
(ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1975/2	0.231
1975/1	0.016
योग 02	0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चूराघाठा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/533/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बारापीपर, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
178/5	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मेड़ापाली माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/535/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-डभरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.760 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2044	0.016
1862/1 ग, 1862/1 छ	0.085
2053	0.004
2054/3	0.016
2054/2, 2017	0.105
2038/7	0.069
2038/8	0.008
2038/6	0.057
2038/9	0.020
2038/11	0.024
2038/4	0.049
2038/1	0.040
2035	0.182
2019	0.053
2018	0.032
2017	0.040
2016/2, 2744	0.134
2015	0.040
2007/1	0.036
2007/2	0.036
2007/3	0.036
2007/4	0.036
2006	0.093
2001/2	0.093
1999/4	0.101
1987/2	0.101
1994/2	0.125
1992/2	0.101
1992/3	0.097
1983/1	0.053
1983/2	0.105
1984/1	0.012
1982	0.077
1984/2	0.004
1974/3	0.166
1975/3	0.085
1974/8	0.134
2545/1	0.040
2545/2	0.048
2545/3	0.057
2545/4	0.166
योग 41	2.760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2004/537/सा/1 सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ीकोना, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.391 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
88	0.146
85/1	0.441
87/1	0.004
8	0.331
85/2	0.061
10/1	0.202
12	0.049
19/3, 20/2	0.150
18/2	0.089
18/3	0.271
23/2	0.150
23/1	0.040
24	0.057
28/1	0.028
28/4	0.219
33/1, 34/2	0.178
33/4	0.081
36/1	0.607
36/2	0.809
277	0.243
88	0.162
89	0.057
92/1	0.057
81	0.012
85/3	0.299
76	0.097
82	0.130
80/1	0.045
80/2	0.032
80/5	0.004
80/6	0.085
179/1	0.255
योग 32	5.391

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकराली वितरक नहर एवं चूराभाठा माइनर क्र. 3 तथा भेड़ीकोना माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अगस्त 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/474/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पुटीडीह, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकवा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
787	0.01
788	0.26
790	0.22
791	0.02
963/1, 963/2,	0.01
961/2	0.20
961/1	0.13

(1)	(2)
960	0.04
802/1, 802/2	0.27
957	0.29
958	0.03
956	0.12
योग	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटीडीह माइनर क्र. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/476/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.63 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
681, 115	0.33
117/6	0.01
116	0.15
106/1	0.11
106/2	0.13
108	0.01
107/1	0.11
107/2	0.08
99/3	0.08
99/2	0.08
99/4	0.09
102	0.03
103	0.09
133/1, 133/2	0.13
134	0.08
135	0.09
162/1	0.03
योग	1.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर अंतर्गत किरारी माइनरक्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/478/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-राधापुर प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.34 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	शा. भूमि
2	0.18
23/7	0.15

(1)	(2)
23/8	0.15
23/10	0.14
23/11	0.14
22/20	0.08
22/19	0.07
22/2	0.06
22/18	0.04
22/17	0.01
22/3	0.17
22/4	0.18
22/5	0.18
22/6	0.19
22/7	0.18
	शा. भूमि
172	0.02
173/2	0.16
175/18	0.06
175/17	0.03
176	0.05
177	0.04
178/1	0.06
187/2	0.06
187/3	0.08
188/1	0.12
190/1	0.10
190/2	0.02
191/2	0.18
208/4	0.05
208/1	0.66
208/7	0.05
208/8	0.05
208/9	0.06
208/10	0.06
208/3	0.01
208/5	0.06
208/6	0.05
208/2	0.08
216/6	0.08
215	0.02
213/2	0.07
213/1	0.06
212/2	0.11
211/2	0.08
227/1	0.17
227/2	0.10
228/2	0.05
252/1	0.02
251	0.11
276/2	0.13
250/13	0.02
250/12	0.02
250/11	0.05
250/10	0.04
253/1, 2	0.05
188/2	0.12
योग	5.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रूवा शाखा नहर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/480/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1157	0.09
1153	0.09
1149/1	0.08
1149/2	0.04
1152	0.03
1150/1, 1150/2	0.05
1139/1	0.06
1139/4	0.05
योग	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटीडीह माइनर क्र. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/482/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पुटीडीह प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
592	0.20
591	0.17
590/1, 590/2	0.02
589/1, 589/2	0.02
581/2, 588/2	0.11
587	0.12
585	0.01
584/3	0.14
598/1	0.05
541/1, 541/2	0.18
536	0.01
531/1, 535/2	0.23
526/1, 526/2	0.08
519/2, 520/2	0.17
624/1	0.03
624/2	0.07
625	0.11
627	0.17
659	0.11
662	0.06
670/1, 670/2	0.08
537	0.17
671	0.08
406	0.07
675	0.06
675/2	0.03
योग	2.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुटीडीह माइनर एक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/484/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसामुहान प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
67	0.08
66	0.08
70	0.06
71/2	0.01
73/1	0.09
74/2	0.02
74/1	0.08
175/1	0.07
योग 8	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैंसामुहान माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/486/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसामुहान प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
213/1	0.11
213/2	0.02
195/2	0.10
196/1	0.08
196/3	0.07
197	0.06
198	0.05
192	0.04
190	0.01
201	0.04
202	0.16
203	0.05
205/1	0.04
169/1	0.01
169/2	0.01
168	0.06
162	0.04
161	0.04
170/2	0.06
159	0.03
158	0.06
155	0.08
156/1	0.03
151	0.04
311	0.04
312/2	0.07
312/1	0.02
316/4	0.09
290/2, 319/2	0.10
317/2	0.02
318/2	0.17
319/3	0.19
321/2	0.03
321/1	0.09
335/1	0.28
339/2	0.14
339/1	0.18
योग	2.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/488/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.01 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
445/2 क	0.06
455	0.17
456/3	0.05
456/4	0.07
457	0.06
458	0.05
407	0.15
431/1	0.07
463	0.17
462/6	0.04
462/5	0.05
462/4, 462/3	0.06
462/2	0.11
462/1	0.09
465/1	0.06
466	0.10
467	0.18
473/2	0.07
471/2	0.01
472/2	0.11
472/1	0.06
472/3	0.04
476/2	0.02
491/1	0.10
461	0.05
योग	2.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जवाली वितरक नहर अंतर्गत सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/490/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
299/1	0.06
305/1, 305/2	0.02
306/1	0.07
308, 309	0.09
313/1, 313/2	0.16
319	0.09
320	0.01
321	0.10
300	0.05
योग	0.65.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.